(2)

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रतापाराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लोहावट) सू.अ.अ. अपील संख्या 07/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रतापाराम विश्नोई पुत्र स्व. सुरजनराम, पता ग्राम व पोस्ट चन्द्रनगर, पंचायत जम्भेश्वर तहसील लोहावट ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.11.18 में उसके द्वारा (1) जितेन्द्र टाक सरपंच जम्भेश्वर नगर, पंचायत समिति लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर द्वारा फरवरी 2015 से अक्टूम्बर 2018 तक पंचायत जम्भेश्वर नगर में सभी करवाये गये कार्या की सूचि, स्वीकृत राशि व उठाये गये/किये गये भुगतान की राशि मय बिल की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लोहावट) से रिपोर्ट जरिये पत्रांक 15 दिनांक 11.01.2019 प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत जम्भेश्वर नगर के विकास कार्यो नरेगा, शौचालय, पाईप लाईन, पंचायत के करवाये गए कार्यो का स्वीकृति, भुगतान इत्यादि का समस्त रिकॉर्ड पंचायत समिति लोहावट से संबंधित होने से मूल आवेदन विकास अधिकारी लोहावट को दिनांक 14.12.18 को प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति कार्यालय लोहावट से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा सूचनार्थ पत्र अपीलार्थी/प्रार्थी को भी दिया गया अतः अपीलार्थी को यदि सूचना नहीं मिली है तो उन्हें **प्रधान**, पंचायत समिति लोहावट के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए, परिणामस्वरूप इस स्टेज पर यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	